न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 96/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद, बारां

(निगराकार)

बनाम

1. संजय भार्गव पुत्र श्री गोविन्द भार्गव जाति ब्राह्मण निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबाद, जिला बारां
2. ग्राम पंचायत केलवाड़ा जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति शाहाबाद जिला बारां (राज0) **(गैरनिगराकारान)**

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम।

उपस्थिति :– 1. श्री रूपचंद सिंघावत, अभिभाषक **(निगराकार)**

निर्णय दिनांक 24.08.2022

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम इस आशय की पेश की कि ग्राम पंचायत केलवाड़ा ने दिनांक 21.02.2004 को 60X25 फिट का पट्टा नंम्बर 805 गैरनिगराकार संजय भार्गव को जारी किया गया पट्आ नियम विरूद्ध एवं अवैद्यानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त पट्टा पुराने मकानों का विनियमितीकरण नियम 157(ख) के अन्तर्गत जारी करना दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता यह पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। मौके पर कोई पुराना मकान नही बना होना पाया गया है। ग्राम पंचायत केलवाडा की ऑडिट निरीक्षक रिपोर्ट 2003–04 में भी उक्त मदों बाबत आक्षेप गठित किया गया था, जिसकी जांच विकास अधिकारी व लेखाधिकारी जिला परिषद बारां द्वारा की गयी थी। तथा जांच में जारी किया गया पट्टा नियम विरूद्ध पाया गया है, और गैरनिगराकार से 10/– रूपये प्रति वर्गफीट जिला स्तरीय समिति दर के मुताबिक 14750/– रूपये वसूली योग्य पाये गये है। गैरनिगराकार ने अन्तर राशि 14750/– रूपये भी जमा नही करवायी है। अतः ग्राम पंचायत केलवाडा द्वारा जारी पट्टा नंबर 805 बहक संजय भार्गव दिनांक 21.02.2004 निरस्त किया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड व गैरनिगराकारान को तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत केलवाडा से पट्टे संबंधित रेकार्ड मँगवाया गया।

गैर निगराकारान बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस गैर निगराकारान अनुपस्थित रहे इस पर हमने एकतरफा बहस अभिभाषक निगराकार की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.19 11:04:52 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान अभिभाषक निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत केलवाड़ा ने दिनांक 21.02.2004 को 60X25 वर्गफीट का पट्टा नंम्बर 805 गैरनिगराकार संजय भार्गव को पुराने मकानों का विनियमितीकरण नियम 157(ख) के अन्तर्गत जारी करना दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता यह पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। मौके पर कोई पुराना मकान नही बना होना पाया गया है। ग्राम पंचायत केलवाडा की ऑडिट निरीक्षक रिपोर्ट 2003–04 में भी उक्त मदों बाबत आक्षेप अंकित कर जिला स्तरीय समिति दर के मुताबिक 14750/– रूपये वसूली योग्य पाये गये। गैरनिगराकार ने अन्तर राशि 14750/– रूपये भी जमा नही करवायी है। अतः ग्राम पंचायत केलवाडा द्वारा जारी पट्टा नंकर 805 बहक संजय भार्गव दिनांक 21.02.2004 निरस्त किया जावें।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक निगराकार की सुनी तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत केलवाड़ा ने दिनांक 21.02.2004 को 60X25 वर्गफीट का पट्टा नंम्बर 805 पुराने मकानों का विनियमितीकरण नियम 157(ख) के अन्तर्गत जारी करना दर्शाया गया है जबकि मुताबिक जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहाबाद एवं लेखाधिकारी, जिला परिषद् बारां अनुसार पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। मौके पर कोई पुराना मकान नही बना होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट लेखाधिकारी, जिला परिषद, बारां व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहाबाद के अनुसार गैरनिगराकार से जिला स्तरीय समिति दर के मुताबिक 14750/– रूपये वसूली योग्य पाये गये। गैरनिगराकार क्रम 1 ने अन्तर राशि 14750/– रूपये भी जमा नही करवायी है।

परिणामस्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैरनिगराकार क्रम–1 श्री **संजय भार्गव पुत्र श्री गोविन्द भार्गव जाति ब्राहमण निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबद** को जारी पट्टा क्रमांक 805 दिनांक 21.02.2004 निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.19 11:04:52 IST
Reason: SelfAttested